

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल
आपराधिक वाद संख्या 825/2022
प्रशान्त काला बनाम सोहन लाल।

दिनांक 16.12.2022

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी अपने विद्वान अधिवक्ता सहित उपस्थित। अभियुक्त अनुपस्थित। अभियुक्त को समन की तामीली पर्याप्त नहीं है। पुनः अभियुक्त के विरुद्ध समन जारी हो। परिवादी आवश्यक पैरवी तीन दिन के भीतर करे। पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त **दिनांक 11.01.2023** को पेश हो।

रवि प्रकाश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।